भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3063**

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

**तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं**

3063. श्री ए. राजा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में वर्तमान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और परियोजना-वार इनमें से कितनी परियोजनाएं निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही हैं;

(ख) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब के कारणों जैसे लागत में वृद्धि, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और ठेकेदारों की लापरवाही आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में विलंबित परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए अब तक उठाए गए ठोस और समयबद्ध कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें से 33 परियोजनाएं अपनी मूल निर्धारित समयावधि से पीछे चल रही हैं। परियोजना के आधार पर, देरी निम्नलिखित में से एक या अधिक कारकों के कारण होती है:

i. भूमि अधिग्रहण और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से संबंधित मुद्दे;
ii. जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण और वैधानिक/रेलवे/वन/पर्यावरण मंजूरी;
iii. संविदाकार से संबंधित मुद्दे जैसे अपर्याप्त संसाधन जुटाना, धीमी प्रगति और वित्तीय बाधाएं;
iv. निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी-गिट्टी/फ्लाई ऐश की खरीद में देरी;
v. परियोजना के कार्य-क्षेत्र/डिजाइन और अन्य तकनीकी अपेक्षाओं में परिवर्तन;
vi. प्रतिकूल मौसम की स्थिति और अन्य अप्रत्याशित घटनाएँ; और
vii. स्थानीय/स्थल-विशिष्ट मुद्दे जिनमें कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक मांगें और अन्य कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और परियोजनाओं में देरी को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण और वैधानिक मंजूरी से संबंधित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय।

ii. कार्यान्वयन बाधाओं के समय पर समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों के साथ परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा।
iii. त्वरित समाधान के लिए अनसुलझे मुद्दों को परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) और **प्रगति** जैसे उचित मंचों पर आगे बढ़ाना।

एनएच परियोजनाओं के निष्पादन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, सरकार ने भविष्य की परियोजनाओं में देरी को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:

i. कम से कम 90% ऋण भारमुक्त मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्यों का आवंटन।
ii. यह सुनिश्चित करना कि कार्यों के आवंटन से पहले प्रमुख वैधानिक मंजूरी, अनुमोदन और अनुमतियां, जहां तक संभव हो, प्राप्त की जाएं।

*****